कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल
दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315
E-mail : pccfwl@mpforest.org

कमांक / वन्यप्राणी / 2015–16 / 17 / संरक्षण / 3788 भोपाल, दिनांक 12-5-2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) सिंह परियोजना, ग्वालियर।
4. संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल।
5. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी।
6. वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) कूनोपालपुर अभयारण्य, श्योपुर।
7. वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) नौरादेही अभ्यारण्य, सागर।
8. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), सामान्य वनमंडल, मध्यप्रदेश।

विषयः–मृत वन्यप्राणियों को जलाकर नष्ट करने बाबत प्रकिया।
संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र कमांक / प्रबंध / 830 दिनांक 8.6.1994,

---

उपरोक्त विषयांन्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मृत वन्यप्राणियों को जलाकर नष्ट करने की प्रकिया निर्धारित की गई थी। इसी बीच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बाघ मृत्यु के प्रकरणों के संबंध में मानक संचालन प्रकिया (एस. ओ.पी) निर्धारित की गई है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में इस कार्यालय के पत्र कमांक / संरक्षण / 17 / 6838 दिनांक 27.12.2012 से प्रेषित की जा चुकी है।

यहॉ यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि बाघ मृत्यु के सभी प्रकरणों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) का पालन सदैव सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त बाघ एवं अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु के संबंध में उनको जलाकर नष्ट करने हेतु निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

1. मृत वन्यप्राणियों को जलाकर नष्ट करने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उल्लेखित वन्यप्राणियों को तीन श्रेणीयों में विभाजित करते हुए उनके समक्ष अधिकारियों को मृत वन्यप्राणियों को जलाकर नष्ट करने की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी मनोनीत किया जाता हैः–

श्रेणी	वन्यप्राणी	सक्षम अधिकारी
1	2	3
1	बाघ, तेन्दुआं	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) / क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व / संचालक राष्ट्रीय उद्यान
2	वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची– I के अन्य वन्यप्राणी व अनूसूची– II के वन्यप्राणी	संबंधित वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) / वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) / उप संचालक टाइगर रिजर्व
3	वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची– III एवं IV के वन्यप्राणी	संबंधित उप वनमंडलाधिकारी(क्षेत्रीय) / सहायक संचालक टाइगर रिजर्व / सहायक संचालक राष्ट्रीय उद्यान

कमशः...2

यहाँ यह ध्यान दिया जाना है कि यथा संभव सक्षम अधिकारी की उपस्थित में ही मृत वन्यप्राणी को जलाकर नष्ट करने की कार्यवाही उनके समक्ष सम्पन्न की जाये। केवल अपरिहार्य स्थिति में ही सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष यह कार्यवाही की जाये। उपरोक्त स्थिति निर्मित होने पर मौके पर एक पंचनामा तैयार कर सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति का कारण दर्शाते हुये अधिकृत अधिकारी का मौके पर उपस्थित होने का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मृत वन्यप्राणियों को जलाकर नष्ट करने के संबंध में निम्न बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाये:–

1. ऐसे प्रकरण, जहाँ शिकार हुआ हो तथा प्रकरण के लिए पोस्ट–मार्टम के दौरान रासायनिक परीक्षण हेतु शव का कोई भाग रखना हो, तो उसे पशु चिकित्सक की उपस्थिति में अलग करवाकर ही पोस्ट–मार्टम के बाद मृत वन्यप्राणी का शव जलाकर नष्ट किया जावे।
2. मृत वन्यप्राणी के शव के समस्त भागों को पूरी तरह जलाकर नष्ट किया जाना अनिवार्य रहेगा। न्यायालयीन प्रकरण हेतु यदि उस मृत वन्यप्राणी की खाल को अलग किया जाना हो (अर्थात खाल को टेनिंग कर सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से) तो उचित दशा में खाल को निकलवाकर शेष समस्त भागों को जलाकर पुरी तरह नष्ट किया जावे, परन्तु इस हेतु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश की पूर्वानुमति अनिवार्य है।
3. बिना कारण के मृत वन्यप्राणी का अनावश्यक रूप से चमड़े को निकाला नहीं जाये। मृत वन्यप्राणी को जलाते समय नाखून, दॉत, हड्डियॉ एवं अन्य भाग अच्छी तरह से जलें हों, इस बात का ध्यान रखा जाये।
4. उपरोक्त की गई कार्यवाही का पंचनामा अवश्य बनाया जाये एवं उसमें उस वन्यप्राणी के समस्त नापजोख एवं जप्त किये गये समस्त भागों का उल्लेख होना एवं उनको जलाने का उल्लेख तथा फोटो लेना अनिवार्य है। मौके पर उपस्थित सक्षम अधिकारी/अधिकृत अधिकारी इस पंचनामा को प्रमाणित करेंगे।
5. पंचनामा एवं की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को अविलम्ब भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः–प्रपत्र उपरोक्तानुसार।

12.5.16
(रवि श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश,
भोपाल

कमांक/वन्यप्राणी/2015–16/17/संरक्षण/ 3769
भोपाल, दिनांक 12-5-2016

प्रतिलिपिः– समस्त अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः–प्रपत्र उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश,
भोपाल

<u>प्रपत्र</u>

मृत वन्यप्राणी को जलाकर नष्ट करने की जानकारी

1.	वन्यप्राणी का नाम	
	1. स्थानीय नाम –	
	2. वैज्ञानिक नाम –	
2.	वन्यप्राणी संरक्षक अधिनियम, 1972 का अनुसूचि क्रमांक जिसमें वन्यप्राणी उल्लेखित है	
3.	वन्यप्राणी के मृत्यु का अनुमानित दिनांक	
4.	वन्यप्राणी के मृत्यु का संभावित कारण	
5.	मृत्यु वन्यप्राणी को जलाकर नष्ट करने का समय व दिनांक	
6.	यदि मृत वन्यप्राणी के किसी भाग को सुरक्षित रखा गया है तो	
	1. सुरक्षित भाग/अंग का नाम	
	2. सुरक्षित रखने का कारण	
7.	क्या जलाने के पूर्व वन्यप्राणी का पोस्ट मार्टम किया गया है। (हाँ/नहीं)	
8.	यदि पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम करने वाले पशु चिकित्सक का नाम एवं पद स्थिति	
9.	यदि मृत वन्यप्राणी बाघ है तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम	
10.	अन्य	

संलग्न :– 1. पोस्टमार्टम व जलाने के छायाचित्र
2. पंचनामा

हस्ताक्षर
(सक्षम अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी)

नाम –
पदनाम –